पंकज जैन
ई स्टाम्प विक्रेता, तहसील रुड़की
मो०-7037045555

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK01379420506177U
Certificate Issued Date	:	20-Aug-2022 04:27 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1215204/ ROORKEE/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK121520407899706762413U
Purchased by	:	RAVI KUMAR
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	SHREE HARI DHARSAN CITY COLONY KAMALPUR SAINI VAS PARGANA AND TEHSIL ROORKEE DISTT HARIDWAR
Consideration Price (Rs.)	:	15,66,000 (FifteenLakh Sixty Six Thousand only)
First Party	:	RAVI KUMAR
Second Party	:	SMT RENU SINGH
Stamp Duty Paid By	:	RAVI KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	15,700 (FifteenThousand Seven Hundred only)

VERIFIED
LOCKED

Please write or type below this line

2

14–दानदाता दानग्रहिता आपस में सगे भाई–बहन है तथा दानग्रहिता की माता के नाम दिनांक 12/09/2003 से पूर्व उत्तराखण्ड़ राज्य में अचल सम्पत्ति है।

Ravikumar

Renu

0002569999

8586
2022 - I

आशीष कुमार
एडवोकेट
रजि० नं० UP-1618/04, UK-089/06
सिविल कोर्ट, रामनगर, रुड़की
मो०: 09760035354

गिफ्ट–डीड (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

1–किस्म दस्तावेज– दान पत्र (गिफ्ट–डीड)

2–मालियत– 15,66,000/–रूपये

3–स्टाम्प शुल्क– 15700/–रूपये

4–स्टाम्प सीटो की संख्या– एक

5–दान की गई सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल– **4035 वर्गफुट अर्थात 375 वर्गमीटर**

6–दान की गई सम्पत्ति का विवरण– **व्यवसायिक खाली प्लाट** (व्यवसायिक प्रयोजन हेतु जिसमें कोई पेड बाग आदि एंव बाउण्ड्रीवाल व निर्माण नही है, विकीत सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति, मन्दिर, ट्रस्ट, चर्च, कब्रिस्तान, धार्मिक संस्था की नही है।)

7–सम्पत्ति का मूल्यांकन व कवर्ड एरिया:– नही

08–स्वामित्व का आधारः– द्वारा संक्रमणीय भूमिधर

09–स्थित ग्राम/नगरः– श्री हरि दर्शन सिटी कॉलोनी ग्राम कमालपुर सैनीवास परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

10–आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर है– लागू नही

11–रेट लिस्ट मे पृष्ठ सं0– 10 कमांक 11ट–61 पर सर्किल रेट– 3300/–रूपये प्रति वर्गमीटर, परन्तु दान किये गये व्यवसायिक प्लाट बहादराबाद–धनौरी मार्ग पर स्थित होने के कारण 15 प्रतिशत वृद्धि से रेट 3795/–रूपये प्रति वर्गमीटर, परन्तु प्लाट व्यवसायिक होने के कारण 10 प्रतिशत वृद्धि से रेट 4174.5/–रूपये प्रति वर्गमीटर से मालियत 15,65,437.5/–रूपये

12–मुख्य सडक से दूरी– राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार से 6 किलो मीटर से अधिक दूर सर्किल दर सूची मे उल्लिखित रूडकी गंगनहर के बराबर से धनौरी बहादराबाद मार्ग पर कमालपुर सैनीबांस से बिचपडी मार्ग पर स्थित है।

13–फोटो व अंगुल चिन्ह प्रमाणित कर्ता दानग्रहिता, दानदाता व गवाहान के आधार पर– आशीष कुमार एडवोकेट, रूडकी।

Ravi Kumar

15–प्रथम पक्ष/दानदाता का नाम व पता– रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र पाल सिंह निवासी 783, दयानन्द नगरी ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड़ (आधार कार्ड नम्बर– 7548 0429 5736 व मो0 नम्बर– 9412912280)

16– द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता का नाम व पता– श्रीमती रेणू सिंह पत्नी श्री सचिन सिंह पुत्री श्री महेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर– 783 दयानन्द नगरी ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड़ (आधार कार्ड नम्बर– 7478 5048 6660 व मो0 नम्बर– 9410873402) द्वितीय पक्ष/दान ग्रहिता।

विदित हो कि प्रथम पक्ष/दानदाता निम्नलिखित सम्पत्ति का संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज व अधिकारी है तथा प्रथम पक्ष/दानदाता की निम्नलिखित सम्पत्ति हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है किसी जगह आड रहन या बन्धक नही है और न ही कोई ऋण आदि किसी बैंक या संस्था या सरकारी सोसायटी आदि से लिया हुआ नही है तथा ना ही कोई इकरारनामा महादा बैय आदि दस्तावेज किया हुआ है तथा हम प्रथम पक्ष/दानदाता को अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति हस्तान्तरित करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रथम पक्ष/दानदाता का द्वितीय पक्ष/दान ग्रहिता सगी बहन है और प्रथम पक्ष/दानदाता को अपनी बहन द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता से काफी प्रेम व प्यार है ओर हम प्रथम पक्ष/दानदाता ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को बिना प्रतिफल के बिला ऐवज प्रेम

Ravi Kumar

आशीष कुमार
एडवोकेट
रजि० नं० UP-1618/04, UK-089/06
सिविल कोर्ट, रामनगर, रुड़की
मो०: 09760035354

Ravi Kumar

आशीष कुमार
एडवोकेट
रजि० नं० UP-1618/04, UK-089/06
सिविल कोर्ट, रामनगर, रुड़की
मो०: 09760035354

Renu

व प्यार द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता को हिबा व बखशीस (दान) में दे दी है और द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता ने रूबरू गवाहान खुशी से कबूल व मंजूर (स्वीकार) कर लिया है और कब्जा आज से ही हम प्रथम पक्ष/दानदाता ने द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता का निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपने समान वास्तविक करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है। अब द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता को पूरा अधिकार है कि वह निम्नलिखित सम्पत्ति जो दान दी गयी है पर काबिज होकर हर प्रकार से लाभ प्राप्त करे और हम प्रथम पक्ष/दानदाता का नाम सम्बन्धित विभाग से निरस्त कराकर अपना नाम राजस्व अभिलेखो तथा सम्बन्धित विभाग मे दर्ज कराये जिसमे मैं दानदाता दानग्रहिता का पूरा पूरा सहयोग देगी व करेगे और निम्नलिखित सम्पत्ति को जिस प्रकार से चाहे अपने भोग, प्रयोग, उपयोग, उपभोग एवम् इस्तेमाल मे लावे। अब हम प्रथम पक्ष/दानदाता का निम्नलिखित सम्पत्ति जो दान मे दी गयी है से कोई मतलब वास्ता या ताल्लूक किसी प्रकार से नही रहा है तथा द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता तन्हा रूप से प्रथम पक्ष/दानदाता की निम्नलिखित सम्पत्ति का मालिक व काबिज अधिकारी होगा व रहेगे तथा द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता को निम्नलिखित सम्पत्ति मे वह सब हक हकूक व अधिकार व स्वत्व हासिल होगा जो हम प्रथम पक्ष/दानदाता को प्राप्त थे तथा निम्नलिखित सम्पत्ति पर निर्माण कराये अपने नाम से निम्नलिखित सम्पत्ति का नक्शा सम्बन्धित विभाग से पास कराये व हर प्रकार का बैंक आदि से ऋण प्राप्त करे व आड व रहन व लीज पर देने व निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तान्तरित आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त होगे जिसमे किसी अन्य व्यक्ति या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को कोई उजर या आपत्ति करने का अधिकार नही होगा। यदि भविष्य मे हम प्रथम पक्ष/दानदाता का कोई अन्य वारिस किसी प्रकार का कोई वाद विवाद निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत द्वितीय पक्ष/दानग्रहिता के साथ करेगा तो वह दावा, वाद विवाद या झगडा दावेदार व्यक्ति का कतई झूठा व बेमायने होगा और

Ravi Kumar

दान पत्र उपरोक्त हमेशा हमेशा के लिये जायज व सही रहेगा किसी समय झूठा नही होगा।

विवरण सम्पत्ति जो दान की गयी है– एक किता व्यवसायिक खाली प्लाट, जिसकी पैमाईश पूरब की ओर 25 मीटर, पश्चिम की ओर 25 मीटर, उत्तर की ओर 15 मीटर व दक्षिण की ओर 15 मीटर, जिसका **कुल क्षेत्रफल 4035 वर्गफुट अर्थात 375 वर्गमीटर, मुतालिका खसरा नम्बर– 113** का भाग, जिसके हदूद पूरब में हिन्दुस्तान पैट्रोल पम्प, पश्चिम में रास्ता 12 मीटर चौडा वास्ते आमोदरफत व हक्के इस्तेमाल, उत्तर में बहादराबाद–धनौरी मार्ग व दक्षिण में सम्पत्ति हरि दर्शन सिटी फेस–3 है, स्थित **श्री हरि दर्शन सिटी कॉलोनी ग्राम कमालपुर सैनीवास परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड,** जिसका दानदाता संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज अधिकारी है। दान किये गये सम्पत्ति में कोई पेड, बाग आदि, बाउण्ड्रीवाल एंव निर्माण नही है। दान किये गये प्लाट का फोटो, गूगल मैप संलग्न है।

सम्पत्ति का अक्षांश **(Latitude)-** 29.931167 है।
सम्पत्ति का देशान्तर **(Longitude)-** 77.998767 है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा– 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

दानदाता के बाये हाथ की अंगुलियो क` चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

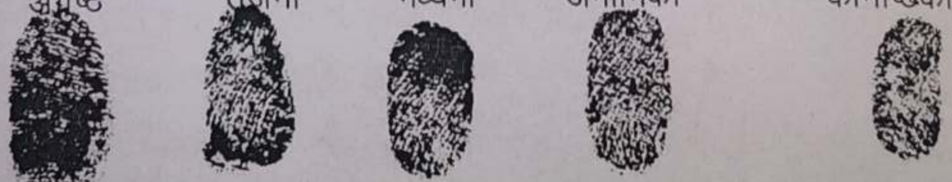

दायें हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

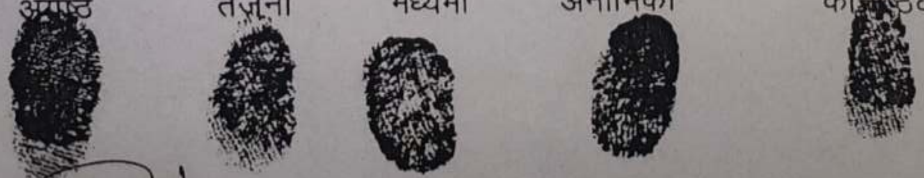

RamKumar

दानग्रहिता के बाये हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

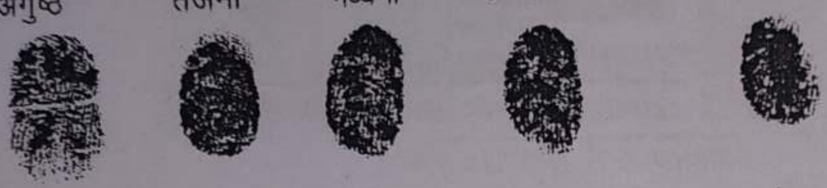

दाये हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

ह0 गवाह नम्बरः–1 ....

आशीष कुमार एडवोकेट, सिविल कोर्ट रूडकी जिला हरिद्वार, रजि0 नम्बर– यू के–089/2006, मो0 नम्बर– 9760035354

ह0 गवाह नम्बरः–2 ....

ऋषिपाल पुत्र श्री केशव राम निवासी ग्राम ठसका परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, आधार नम्बर– 3606 7964 3589, मो0 नम्बर– 8936961900

लेख तिथिः– 20/08/2022

रचेयता एवम् फोटो व अगुंष्ठ

प्रमाणित– केता/विकेता व गवाहान की शिनाख्त पर,

आशीष कुमार एडवोकेट, रूडकी।

आशीष कुमार
एडवोकेट
रजि॰ नं॰ UP-1618/00, UK-089/06
सिविल कोर्ट, रामनगर, रुड़की
मो॰ : 09760035354

Ravi Kumar

बही संख्या 1 जिल्द 6764 के पृष्ठ 283 से 310 पर क्रमाक 8586

पर आज दिनांक 20 Aug 2022 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,रुड़की,द्वितीय
20 Aug 2022